

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प:-9(30)राज-6 / 2017/21

जयपुर, दिनांक:- 22-3-18

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या-15 सन् 1956) की धारा-106 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद् द्वारा निर्देश देती है कि तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा के समस्त ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम का कार्य इस अधिसूचना के प्रसारित होने की दिनांक से प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बांसवाडा।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि तहसील बांसवाडा का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कराने हेतु कार्यवाही की जावे।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में शीघ्र प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव